

भारतीय गैर-न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

1

ONE  
HUNDRED RUPEES

HINDU INDIA

## INDIA NON JUDICIAL

45 Affair Rx

6-069431

卷之三

संस्कृत विद्यालय शिक्षा परिषद्, अहमदाबाद, गुजरात ૩૮૦૦૦૫

इन वर्षों में पुरा भी बहिर्भाव से इस दृष्टि से विश्वास करता है कि पुरा जल एवं जलवा  
प्रबन्ध अधिकार एवं व्यवस्था एवं जलवा आयोजन एवं वितरण एवं विनियोग व्यवस्था एवं  
जलवा वितरण व्यवस्था, अपेक्षा व्यवस्थाओं विनियोग व्यवस्था है।  
१०५-१ यह दृष्टि अपनी विवरणीय/प्राकृतिक जल विभाग कार्यक्रम एवं वितरण एवं विनियोग  
व्यवस्था एवं वितरण व्यवस्था, अपेक्षा व्यवस्था विनियोग एवं वितरण व्यवस्था की व्यवस्था एवं  
२०२३-२४ में इस व्यवस्था है।

१०३५-२ नं. द्वि. अस्ति अस्तिर्थी/१०३५ वा यह अस्ति अस्तिर्थ, अस्ति में अस्ति अस्ति है यह  
अस्ति अस्ति/१०३५/१०३५/१०३५ अस्ति अस्ति अस्ति है।

1915-3 ਵਿੰਫ਼ ਵਿੰਫ਼ ਪ੍ਰਾਤਿਸ਼ਤ ਮੁੱਲ ਵਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀ ਗਈ ਜਾਂ  
ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ?

२०१-१ वरे रिकार्ड, पासीना युवा वर्ग की अवधारणा बिल्डिंग बोर्डर के संसदीय घेंडु नवारी वा  
प्रैरियो विल्डिंग में आयोजित होती है।

२००-६ तो वे नियम लागू होंगे। अतः यह नियम लागू होना चाहिए। इसकी वजह से यह नियम लागू होना चाहिए।

1

- 3 -

~~Verkäufer~~ K. H. M.

(2)

धारा-7 यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

धारा-8 यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।


धारा-9 यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जोयगा।


धारा-10 यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कलास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

~~NOT  
S.I. QUPA  
1000  
(23) O.  
AJABAC  
INDIA/~~ **N S A H M D R**  
धारा-11 यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक राजीक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती संस्थानी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

धारा-12 यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा-13 हम घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।

  
H0 अध्यक्ष

  
H0 प्रबन्धक

Sahil Singh / Dharmendra Bector Singh  
Deponent Sd/-  
Identified by Sd/-  
SWORN AND VERIFIED BEFORE ME  
NOTARY  
119/23